FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0021 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/02/2024 19:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:22 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/02/2024 **Time (समय):** 18:40 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/02/2024 19:53:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 9 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Colecttait circle jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMKARAN MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Nanuram Meena

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Sirsi Road, Meenawala Near B Block, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Sirsi Road, Meenawala Near B Block, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9929218006

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Rajendar Kumar Meena IV Class Emp.		पिता:Sitaram Meena	1. 135,Goverdhanpuri colony,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 02.02.2024 को उच्चाकारियों के मार्फत परिवादी श्री रामकरण मीणा ने मन् निरीक्षक पुलिस को एक टाईपषुदा रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि "मैं खसरा सं0 365, बी -ब्लॉक के पास, मीनावाला, सिरसी रोड, जयपुर का रहने वाला हूं मैं उक्त स्थान पर परिवार सहित रहता हूं। उक्त भूमि का श्री उम्मेद सिंह लोढा ने सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति प्राईवेट लिमिटेड सोसायटी का फर्जी पट्टा लेकर मुझे वहां से बेदखल करना चाहता है। जिसके कारण मैंने करणी विहार पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज करवा रखा है। जिसकी जांच अभी चल रही है। मैने सैशन कोर्ट क्रम सं0 04, जयपुर में दावा कर उक्त भूमि व भवन पर कोर्ट से स्टे ले रखा है किन्तु मेरे वकील ने उक्त मामला रेवेन्यू कोर्ट का होना बताकर दूसरे कोर्ट में दावा पेश किया है। उक्त दावे के नोटिस सामने वाली पार्टी को कोर्ट ने जारी कर दिये है। उक्त नोटिस तामील करवाने की एवज में कोर्ट कर्मचारी श्री राजेन्द्र कुमार, जिसके मोबाईल नम्बर 9314322892 है ने मेरे से 5,000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा उक्त राशि उसे नहीं देने पर उसने उक्त नोटिस की तामील नहीं करवाई। अब कोर्ट से सामने वाली पार्टी को पुनः नोटिस जारी हुये है। जिसके सम्बंध में श्री राजेन्द्र कुमार मुझे पुनः मिलने के लिये बुला रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मुझसे विपक्षी पार्टी के कोर्ट से जारी नोटिस तामील करवाने की एवज में 5,000-/ रूपये रिश्वत की मांग करेगा। पैसे नही देने की स्थिति में वह पुनः नोटिस की तामील नहीं करवायेगा। मेरी श्री राजेन्द्र कुमार से कोई रंजिश नहीं है तथा न ही उससे कोई पुराना लेन-देन बाकी है। मैं श्री राजेन्द्र कुमार को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं।" जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जाकर परिवादी श्री रामकरण मीणा से मजीद दरियाफ्त की गई।परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिस पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाने के लिए कार्यालय में पदस्थापित श्री पन्नालाल, कानि. को तलब किया जाकर परिवादी श्री रामकरण मीणा से परिचय करवाया जाकर कार्यालय से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर उसका खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की गई। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करा है कि संदिग्ध अधिकारी उसे आज की बुला रहा है सम्भव है कि वह आज ही मुझसे रिष्वत की मांग करेगा। इसलिये परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप की रिकॉर्डिंग हेतु श्री पन्नालाल कानि. नं0 09 को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री रामकरण के साथ बाद आवश्यक हिदायत मामूर कर सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पष्चात् सांयकाल समय 4:30 पीएम पर कानि0 श्री पन्नालाल नं. 09 मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो पाया गया कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से सम्बंधित कार्य के सन्दर्भ में वार्ता कर उक्त कार्य की एवज में परिवादी से 5,000/- रूपये की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि मेरे मामले में विपक्षी पार्टी के कोर्ट से जारी नोटिस की तामील करवाने के सम्बंध में वार्ता की तो संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार ने मुझसे तामील करवाने की एवज में 10,000/- रूपये की रिष्वत की मांग कर 5,000/- रूपये लेने पर सहमत हुआ, जिस पर मैंने उसकी मांग के अनुसार उसे 500 रूपये उसी समय दे दिये तथा शेष राषि के लिये समय की कहने पर उसने मुझे शेष रिष्वत राषि लेकर सोमवार को बुलाया, जिस पर मैंने उसको सोमवार-मंगलवार तक पैसों की व्यवस्था कर लाने के लिये कहा है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता से भी उक्त की पुष्टि हुई।

दिनांक 05.02.2024 को परिवादी श्री रामकरण मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर 9929218006 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर बताया कि सदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार ने मुझे फोन कर शेष रिष्वत राषि आज ही शाम तक देने के लिये कहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही हेतु संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिष्वत राषि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की। ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु तलबी की जाने पर क्रमशः श्री जगदीष पुत्र श्री छितर वर्मा उम्र 59 साल निवासी श्यामा मुखरजी कॉलोनी, बस्सी नानूलाई, जयपुर हाल फिटर-द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड प्रथम (दक्षिण)

जवाहरनगर जयपुर एवं श्री भुवनेश कुमार बैरवा पुत्र श्री ग्यारसीलाल बैरवा निवासी 404, मनोहर वाली गली, नम्बर-18, झालाना ग्राम, मालवीय नगर, जयपुर थाना मालवीय नगर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, जयपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी श्री रामकरण मीणा के कार्यालय में उपस्थित आने पर उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया। परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य दिनांक 02.02.2024 को हुई रिश्वती मांग सम्बन्धी वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई। त्पष्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामकरण मीणा ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 4,500/-रूपये जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 09 नोट कुल 4,500/- रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। इन नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटांे के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती निधि महिला कानि0 86 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 09 नोटों पर श्रीमती निधि महिला कानि0 86 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री भूवनेष कुमार से परिवादी श्री रामकरण मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती निधि महिला कानि0 86 से परिवादी के पहने शर्ट के उपर की बांयी तरफ की जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 4,500/-रू. संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहंा रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवे। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 9829223391 पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। परिवादी को हिदायत की गई कि यदि संदिग्ध अधिकारी उससे उसकी गाडी में रिष्वत लेता है तो वह रिष्वत राषि आदान-प्रदान के बाद अपनी गाडी के इण्डीगेटर चलाकर गोपनीय इषारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती निधि महिला कानि0 86 के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्रीमती निधि महिला कानि0 86 के दोनांे हाथांे को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव टैªपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टैपबाक्स में रखी खाली शीशियंा, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन तथा उसकी गाडी की चाबी उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपनी पेंट की जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर कार्यवाही में पूर्व में काम में लिया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती निधि महिला कानि0 86 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री रामकरण मीणा के साथ कानि0 श्री मनीष सिंह नं. 486 एवं श्री पन्नालाल कानि0 09 को परिवादी के वाहन सं0 आरजे 14 यूजे 1044 से कलेक्ट्रेट सर्कल, जयपुर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया। कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 तथा श्री हिमांषु शर्मा, कनिष्ठ सहायक को प्राईवेट मोटरसाईकिल से परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे रहने की हिदायत कर कलेक्ट्रेट सर्कल, जयपुर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया। तत्पष्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री सुभाष मील हैडकानि0 नं0 35 मय स्वतंत्र गवाहान

श्री जगदीष तथा श्री भुवनेष कुमार, कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन एवं चालक मय लेपटॉप, प्रिंटर, कागज, ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के समय 05ः00 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्ट्रेट जयपुर हेतु रवाना होकर समय 05ः22 पीएम पर कलेक्ट्रेट सर्कल, जयपुर पर सीकर रोड के पास बनी हुई पुलिस गुमटी के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी मय जाब्ता के साथ अपनी गाडी में तथा श्री रमजान कानि0 466 मय हिमांषु शर्मा, कनिष्ठ सहायक के साथ उपस्थित मिले। जहां पर सरकारी वाहन को पार्किंग की तरफ खडा करवाया गया। परिवादी ने बताया कि मुझे संदिग्ध अधिकारी को यहां पहुंचने की सूचना देने के लिये उसको फोन करना पडेगा, जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से अपने फोन को लाउड स्पीकर मोड पर कर वार्ता करने की हिदायत दी गई। तत्पष्चात् परिवादी की गाडी के पीछे-पीछे कानि0 श्री पन्नालाल नं0 09 तथा श्री मनीष सिंह कानि0 486 तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत कर रवाना किया गया। श्री पन्नालाल कानि0 द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी ने फोन से संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर उसे रिकॉर्ड किया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू ही रखा गया। परिवादी कलेक्ट्रेट सर्कल, जयपुर के दूसरी ओर (जयपुर होटल की तरफ) अपनी उसकी गाडी ले जाकर खडा हो गया। मन् निरीक्षक पुलिस सरकारी वाहन तथा श्री हिमांषु शर्मा, कनिष्ठ सहायक की प्राईवेट मोटरसाईकिल को वहीं पार्किंग में खडा कर श्री सुभाष मील हैडकानि0 श्री रमजान अली तथा श्री हिमांषु शर्मा, कनिष्ठ सहायक भी परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास रहते हुये उस पर निगरानी रखते हुये संदिग्ध अधिकारी के आने के इंतजार में मुकीम हुये। कुछ समय पष्चात एक व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर परिवादी के वाहन के पास पहुंचा तथा अपनी मोटरसाईकिल को परिवादी की गाडी के ड्राईवर साईड में खडा कर परिवादी की गाडी में आगे की खलासी शीट पर आकर बैठ गया तथा परिवादी से वार्ता करने लग गया। कुछ समय बाद परिवादी ने पूर्व में बताये अनुसार अपने वाहन का इन्डीगेटर देकर मन् निरीक्षक पुलिस को पूर्व निर्धारित ईषारा किया। इसी दौरान परिवादी की गाडी में बैठा उक्त व्यक्ति गाडी से उतरकर अपनी मोटरसाईल की तरफ जाने लगा, तभी मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के मौके पर पहुंचे तथा परिवादी की गाडी से उतरकर जा रहा व्यक्ति भी अपनी मोटरसाईकिल पर बैठ गया। तत्पष्चात परिवादी ने अपने पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने अपनी गाडी से उतरकर उक्त मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि यह ही संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार है जिसने मेरे से अभी मेरे विपक्षी पार्टी के कोर्ट से निकले नोटिस को तामील करवाने की एवज में मुझसे 4,500/- रूपये की रिष्वत अपने बाये हाथ में प्राप्त कर अपने पहनी हुई जिंस पेंट के सामने की बांयी जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा उम्र 43 साल निवासी मकान नम्बर 135, गोवर्धनपुरी, गलता गेट,जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला एवं सैषन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को परिवादी श्री रामकरण मीणा की तरफ ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे कोई रिश्वत राशि ली है, तो पहले घबरा गये तथा बाद में तसल्ली देकर पूछा उन्होंने बताया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है। इन्होंने अपने केस की नकल निकलवाने के लिये वकील को देने के लिये मुझे लगभग 4500 रूपये दिये थे जो मैंने लेकर अपनी पेंट की जेब में डाल लिये है। इस पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के दोनों हाथों को कानि. पन्नालाल कानि0 09 से पकडवाया जाकर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को खडे रहने की हिदायत की गई। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की मोटसाईकिल जो बंद अवस्था में है तथा जिसके नम्बर आरजे 07 एसए 9664 है। तत्पष्चात संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को परिवादी श्री रामकरण मीणा से जानकारी तथा उससे सम्बंधित कार्य के बारे में पूछा तो संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने मन् निरीक्षक पुलिस को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं रामकरण मीणा को साल भर पहले से जानता हूं साल-भर पहले ये मेरे से किसी मामले में तामील के सिल सिले में मिले थे। अभी तीन-चार दिन पहले भी यह मेरे पास आये थे। इन्होंने मुझे बताया कि उम्मेद सिंह मेरी जमीन को खा जायेगा। इनके मामले में एक बार पहले भी उम्मेद सिंह लोढा की तामील आई थी। तब मैंने नियमानुसार चस्पा कर तामील करवाई थी। उसके बाद उनके विरूद्ध पुनः कोर्ट से नोटिस निकलने पर मैंने आज भी उम्मेद सिंह लोढा की तामील उसके सी-स्कीम घर जाकर चस्पा कर करवा दी थी। उक्त तामील श्री लक्ष्मीनारायण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम हुई थी क्यों कि वह उसके क्षैत्र की थी परन्तु उसकी ड्यूटी प्रॉटोकॉल में होने से हेडबाबू ने उक्त तामील मुझे दी थी। मैंने रामकरण जी को सुबह कई बार फोन करे दो गवाह लाने के लिये बुलाया था परन्तु यह दो बजे तक कोई गवाह लेकर नहीं आये जिस पर मैंने नियमानुसार कार्यवाही कर तामीली रिपोर्ट कर नाजिर श्री रमेष जी को दिया तथा उक्त मामले में न्यायालय में आज की ही तारीख होने से उक्त तामीली रिपोर्ट सम्बंधित न्यायालय में भेज दी गई। श्री रामकरण जी ने बताये अनुसार गवाह तो लाये नहीं ओर मुझे पकडवा ओर दिया। जिस पर मौके पर ही उपस्थित परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की बात काटते हुये बताया कि इन्होंने मेरे से मेरे विपक्षी पार्टी के कोर्ट से जारी नोटिस को तामील करवाने की एवज में मुझसे पहले 10,000

/- रूपये की रिष्वत की मांग की थी तथा बाद में 5,000/- रूपये की मांग कर मुझसे दिनांक 02.02.2024 को 500/- रूपये लिये थे तथा अभी मुझसे इन्होंने उक्त कार्य के लिये ही 4500/- रूपये प्राप्त कर अपनी पेंट के सामने की बांयी जेब रखे है। इन्होंने मुझसे किसी वकील तथा नकल निकलवाने के पैसे नहीं लिये है तथा न ही मैंने इनको किसी वकील को देने के लिये अथवा कोई नकल निकलवाने के लिये इनको पैसे दिये है। इस पर परिवादी श्री रामकरण मीणा द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु एक प्लास्टिक की बोतल में पीने का स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री भुवनेष कुमार, कनिष्ठ सहायक से संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की जामा तलाशी लिवाई गई तो संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के पहनी हुई जिंस पेन्ट के सामने की बांयी जेब से 500-500 रूपये के नोट बरामद हुये, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो उक्त 500-500 रूपये के कुल 09 नोट होकर कुल 4,500/- रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटांे के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। तत्पश्चात संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के पहनी हुई जिंस पेन्ट के सामने की बांये जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 4,500/-रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।चूंकि मौके पर आम रास्ता होकर लोगों की आमद रफत ज्यादा होने से मौके पर लोगों की अत्यधिक भीड होने के कारण अग्रिम कार्यवाही मौके पर की जाना सम्भव प्रतीत नहीं होने के कारण अब तक की कार्यवाही के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देषानुसार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय जाकर की जानी है । इसलिये अब तक की कार्यवाही के धोवन सेम्पलों को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया जाकर ट्रेप बॉक्स को सरकारी वाहन में रखवाकर ट्रेप बॉक्स की निगरानी हेतु कानि0 श्री पन्नालाल को मामूर कर आवष्यक हिदायत की गई। संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के कब्जे से बरामद रिष्वत राषि स्वतंत्र गवाह श्री जगदीष को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। तत्पष्चात् श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से उसकी मोटरसाईकिल की चाबी के बारे में पूछने पर संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने अपनी मोटरसाईकिल की चाबी प्रस्तुत की, जिसे श्री रमजान कानि0 को सुपुर्द कर संदिग्ध की मोटरसाईकिल को ब्यूरो कार्यालय में लेकर जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में पहुंचने की हिदायत कर कानि0 श्री मनीष सिंह के साथ उसकी गाडी से रवाना किया गया। तत्पष्चात संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को सरकारी वाहन में बैठाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते तथा स्वतंत्र गवाहान के साथ समय 06ः05 पीएम पर मौके से रवाना होकर समय 06ः35 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। जहां पर संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को कार्यालय कक्ष में बैठाकर श्री पन्नालाल कानि0 की निगरानी मामूर की गई। ट्रेप बॉक्स तथ अन्य साजो सामान को कार्यालय मे ंरखवाया गया। कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 ने परिवादी की मोटरसाईकिल को ब्यूरो कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडी कर चाबी मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की, जिसे सुरक्षित अपने कब्जे में ली। ताबाद परिवादी तथा श्री मनीष सिंह कानि0 भी कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री हिमाषु शर्मा भी मौके से कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के लिये दूसरी पेन्ट/लॉअर की व्यवस्था कर संदिग्ध की पहनी हुई जिंस पेन्ट को उतरवाया जाकर दूसरी पेंट पहनाया गया। तत्पष्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में संदिग्ध श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की उतरवायी गई जिंस पेन्ट के सामने की बांयी जेब (जहां से रिष्वत राषि बरामद हुई) को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'P-1, P-2' अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी की जिंस पेन्ट के सामने की बांयी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क "P अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितांे के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित टैप बाक्स में रखा गया।अब तक की कार्यवाही से श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा उम्र 43 साल निवासी मकान नम्बर 135, गोवर्धनपुरी, गलता गेट, जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला एवं सैषन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर द्वारा परिवादी श्री रामकरण मीणा द्वारा न्यायालय में किये गये दावे के सम्बंध में

न्यायालय से विपक्षी पार्टी को जारी किये गये नोटिस की तामील कर न्यायालय में पेष करने की एवज में परिवादी से बतौर अनुचित लाभ 10,000/- रूपये की मांग करना तथा दिनांक 02.02.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के उक्त कार्य की एवज में 5,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ लेने पर सहमत होकर 500/- रूपये प्राप्त करना तथा आज दिनांक 05.02.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में परिवादी से 4,500/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकडे जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म एवं संवेधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 06.02.2024 को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 02.02.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई वार्ता, रिष्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता तथा दिनांक 05.02.2024 को रिश्वत आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष उपरोक्त वार्ताओं की लेपटॉप/डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये चार सी.डी. तैयार कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। गिरफ्तारशुदा आरोपी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा का सेवा विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा उम्र 43 साल निवासी मकान नम्बर 135, गोवर्धनपुरी, गलता गेट, जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला एवं सैषन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर द्वारा परिवादी श्री रामकरण मीणा द्वारा न्यायालय में किये गये दावे के सम्बंध में न्यायालय से विपक्षी पार्टी को जारी किये गये नोटिस की तामील कर न्यायालय में पेष करने की एवज में परिवादी से बतौर अनुचित लाभ 10,000/- रूपये की मांग करना तथा दिनांक 02.02.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के उक्त कार्य की एवज में 5,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ लेने पर सहमत होकर 500/- रूपये प्राप्त करना तथा आज दिनांक 05.02.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में परिवादी से 4,500/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकडे जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा उम्र 43 साल निवासी मकान नम्बर 135, गोवर्धनपुरी, गलता गेट, जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला एवं सैषन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।(रघुवीर शरण)विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला एवं सैषन न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 21/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचर निरोधक, ब्यूरो, जयपुर एस.यू-द्वितीय को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी की गई उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 70 पर अंकित है। (विशनाराम)पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांकः-108-11 दिनांक 07.02.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।2.जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर, जयपुर।3.उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Subhash Meel **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/02/2024 19:58:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/10/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)